

BENCH No. - 11

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

गिस केस संख्या- 446/2019

धारा-107 दं0प्र0सं0

झारखंड सरकार

-बनाम-


खुशी आलम एवं अन्य-2


आदेश

अभिलेख आज राष्ट्रीय लोक अदालत में Virtual Mode में उपस्थापित किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रस्तुत वाद में ~~द्वितीय~~/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन ~~प्रप्त~~/अप्रप्त है। इस वाद की कार्यवाही आरंभ होने के उपरान्त छह महीने से अधिक समय बीत चुका है। धारा-107 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही की वैधानिक अवधि मात्र छह माह का होता है। पुनः थाना अथवा अन्य किसी श्रोत्र से शांति भंग होने की आशंका की कोई सूचना/प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः विचारोपरन्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। यदि पक्षकार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत है, तो उसे वापस लिया जाता है।


Member


Member
10/7/20